न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या :: 49/2023
जीसीएमएस नम्बर :: 2023/111

अपीलाण्ट :– **बनाम** **रेस्पोडेण्ट्स :–**

कपूरचन्द्र पुत्र श्री ईन्दाराम, राम नगर तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

1. ईन्दाराम पुत्र श्री दोलाजी माली
2. नारायणलाल पुत्र श्री ईन्दाराम माली
3. चम्पालाल पुत्र श्री ईन्दाराम माली
4. रमेश कुमार पुत्र श्री ईन्दाराम माली
5. छगनलाल पुत्र श्री ईन्दाराम माली
6. नैनाराम पुत्र श्री ईन्दाराम माली
   निवासीगण राम नगर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट उपस्थित।
रेस्पो. संख्या 01 की ओर से न्यायमित्र श्री रामलाल भाटी व शेष रेस्पोडेण्ट्स उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22.07.2024

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 तहत विरूद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 06/2020 बअनवान इन्दाराम बनाम नारायण लाल आदेश दिनांक 10.11.2022 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट स्वयं वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 01 की ओर से उनके न्यायमित्र श्री दीपाराम परमार व शेष रेस्पोडेण्ट्स स्वयं वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर, पाली

अपीलाण्ट ने अपील–मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर ने अपने न्यायालय के प्रकरण संख्या 06/2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2022 में आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 02 से रेस्पो. संख्या 06 को रेस्पो. संख्या 01 के भरण पोषण बाबत प्रत्येक माह 5000 रूपये निर्धारित किये जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध है क्योंकि अपीलाण्ट जो कि रेस्पो. संख्या 01 का पुत्र है वह अपने पिता को अपने साथ पूर्ण सार–सम्भाल से रखने को हमेशा से तैयार होने के उपरान्त भी भरण–पोषण बाबत् किया गया जैर अपीलाधीन आदेश पूर्णतया अतार्किक होने से खारिज योग्य है। अपीलाण्ट के पिता द्वारा दिनांक 10.05.2010 को अपीलाण्ट के पक्ष में एक पंजीकृत बख्शीशनामा निष्पादित किया, उक्त बख्शीशनामे को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विधिक आधारों के निरस्त किया गया है जो भी न्यायोचित नहीं होने से जैर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमावे।

न्यायमित्र व रेस्पोडेण्ट्स ने अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने रेस्पो. संख्या 01 को बहला फुसलाकर एक बख्शीशनामा उपहारस्वरूप

Scanned with ACE Scanner

दिनांक 10.05.2010 को पंजीकृत करवा लिया फिर भी अपीलाण्ट द्वारा रेस्पो. संख्या 01 जो कि अपीलाण्ट के पिता है का भरण–पोषण नहीं कर रहे है जिससे जैर अपील सारहीन होने से खारिज फरमावे।

प्रकरण में उभयपक्षों की सुनी गई बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलाण्ट जो कि रेस्पो. संख्या 01 के पुत्र है उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भरण पोषण के निर्णय दिनांक 10.11.2022 को इस आधार पर चुनौती देता है कि भरण पोषण हेतु 5000 रूपये के स्थान पर वह अपने पिता को अपने साथ रखने को तैयार है तथा उसे अपने पिता से जो भूमि उपहार/बख्शीशनामे से प्राप्त हुई है, उक्त बख्शीशनामे में कहीं पर सशक्त सेवा शर्तों द्वारा बख्शीशनामा नहीं किया गया। अतएव उक्त बख्शीशनामे को निरस्त किये जाने के आदेश को अपास्त किया जाये।

उभयपक्षों को सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कि अपीलाण्ट जो कि रेस्पो. संख्या 01 के सुपुत्र है यदि उन्हें अपने पिता से कोई सम्पति उपहार में प्राप्त की है तथा उसे अपने साथ रखकर देखभाल कर ही पाते तो निःसन्देह वह न्यायालय के पास कदापि नहीं आते। रेस्पो. संख्या 01 जो करीब 93 वर्ष की आयु का वृद्ध, अशक्त एवं अस्वस्थ व्यक्ति है उसे 5000 रूपये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेक अनुसार भरण पोषण के लिए जो राशि तय की है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते तथा एक पुत्र के नाते अपीलाण्ट का यह दायित्व है कि वह अपने पिता का भरण पोषण करे विशेष रूप से जब, तब उसने अपने पिता से उपहार में भूमि प्राप्त की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरण–पोषण के लिए तय की गई राशि के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा त्रुटिपूर्ण नहीं पाते। अतएव उक्त हद तक हम अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखते है।

प्रकरण में जहां तक अपीलाण्ट का दूसरे उज्र का प्रश्न है अपीलाण्ट द्वारा विभिन्न न्यायिक नजीरे 2023 (1) ALT 5(SC), 2016(3) Civil Court Case 781 (P&H), 2021 supreme (P&H) 352, 2021 supreme (P&H) 1568 प्रस्तुत की है जिसमें यह भी निर्धारित किया गया है तथा संबंधित कानूनों में यह वर्णित है कि यदि कोई अपने माता–पिता द्वारा कोई सम्पति सेवा की शर्तों के तहत उपहार में दी जाती है तो सेवा शर्तों का उल्लंघन होने पर उक्त उपहार विलेख निरस्त किया जा सकता है। प्रकरण में हुए उपहार विलेख का अवलोकन करने पर कोई तथ्य प्रथम–दृष्ट्या नजर नहीं आया न ही अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई तथ्य वर्णित किया है जिससे उक्त दस्तावेज किन्हीं पूर्व शर्तों के द्वारा निर्धारित किया हो। न्यायहित में हम यह उचित समझते है कि उक्त उपहार विलेख के संबंध में उभयपक्षों को पुनः सुनकर उक्त उपहार विलेख के निरस्तगी आदेश पर पुनः निर्णय पारित करे एवं हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उसके द्वारा बख्शीशनामा दिनांक 10.05.2010 को अपास्त करने के निर्णय को निरस्त करते है तथा अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षों को सिर्फ इस बिन्दु तक पुनः सुनवाई कर नव निर्णय पारित करने के लिए प्रकरण प्रेषित करते है।

समग्रतः प्रकरण में अपील–अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का भरण–पोषण की राशि तय करने के निर्णय को बहाल रखते हुए सिर्फ उपहार विलेख के निरस्ती आदेश को अपास्त करते हुए उस पर उभयपक्षों को पुनः सुनकर नव निर्णय पारित करने को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति–प्रेषित करते है।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner